HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous Bail Application No. 17241/2026
CNR: RJHC021051312026 | URN: CRLMB / 31747U / 2026

1. Ajay S/o Babulal, Aged About 20 Years, R/o Imlali, Police Station Barodameo, District Alwar (Raj.). (Presently Confined In District Jail Alwar).
2. Deendayal S/o Bhagwan Singh, Aged About 21 Years, R/o Butiyana, Police Station Barodameo, District Alwar (Raj.) (Presently Confined In District Jail, Alwar).

----Petitioners

Versus

State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Aatish Jain
For Respondent(s)	:	Mr. Shree Ram Dhakar, PP

HON'BLE MRS. JUSTICE SHUBHA MEHTA

Order

30/10/2026

प्रार्थीगण/अभियुक्तगण की ओर से धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के अन्तर्गत अपनी नियमित जमानत हेतु यह प्रार्थना–पत्र **पुलिस थाना–बडौदा मेव जिला–अलवर** में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या **272/2026** अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम में जमानत का लाभ दिए जाने की प्रार्थना के साथ पेश किया गया है।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण का तर्क है कि प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को प्रकरण में मिथ्या संलिप्त किया गया है। प्रार्थीगण पर यह आक्षेप है कि उनकी कार से नौ पेटी अंग्रेजी शराब, जिनमें कुल मिलाकर 77 लीटर शराब मौजूद थी, बरामद हुई, जिसको रखने का कोई वैध लाईसेंस उनके पास नहीं था। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण 20–21 साल के नवयुवक हैं। वे दिनांक 14.10.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है।

उनसे अब किसी प्रकार का कोई अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। मामले के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः प्रार्थीगण/अभियुक्तगण को जमानत पर मुक्त किया जाए।

इसके विपरीत विद्वान लोक अभियोजक का तर्क है कि प्रकरण अपराध अन्तर्गत धारा 19/54 आबकारी अधिनियम से सम्बन्धित है। उनके आधिपत्य से भारी मात्रा में अंग्रेजी शराब बरामद हुई हैं, जिसे रखने का कोई वैध लाईसेंस उनके पास नहीं था। जो गंभीर अपराध है। अतः उन्हें जमानत का लाभ नहीं दिया जाए।

दोनों पक्षों के तर्कों पर मनन किया गया। पत्रावली का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया गया। प्रार्थीगण/अभियुक्तगण पर धारा 19/54 आबकारी अधिनियम का आक्षेप है। उन पर यह आक्षेप है कि उनकी कार से नौ पेटी अंग्रेजी शराब, जिनमें कुल मिलाकर 77 लीटर शराब मौजूद थी, बरामद हुई, जिसको रखने का कोई वैध लाईसेंस उनके पास नहीं था। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण दिनांक 14.10.2026 से निरन्तर न्यायिक अभिरक्षा में हैं। उनके विरूद्ध पूर्व का कोई आपराधिक प्रकरण दर्ज नहीं है। दोनों अभियुक्तगण 20–21 साल के नवयुवक हैं। उनसे अब किसी प्रकार का कोई अनुसंधान किया जाना शेष नहीं है। मामले के अन्वेषण एवं अन्वीक्षा में समय लगेगा। अतः उपर्युक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए एवं विद्वान अधिवक्ता प्रार्थीगण/अभियुक्तगण द्वारा प्रस्तुत तर्कों के प्रकाश में, इस स्तर पर मामले के गुणावगुण पर कोई टिप्पणी किये बिना, अतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को सशर्त जमानत पर मुक्त किया जाना उचित है।

परिणामतः प्रार्थीगण–अभियुक्तगण की ओर से प्रस्तुत यह जमानत प्रार्थनापत्र इस शर्त के साथ कि प्रार्थीगण–अभियुक्तगण भविष्य में इस प्रकार के अपराध की पुनरावृत्ति नहीं करेंगे, स्वीकार किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रत्येक प्रार्थीगण–अभियुक्तगण इस मामले में योग्य विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उन्हें बुलाया जाए, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का बन्ध–पत्र एवं पचास–पचास हजार रूपये की दो प्रतिभूतियां प्रस्तुत कर तस्दीक करवा दे तथा उनकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो, तो उन्हें जमानत

पर रिहा कर दिया जाये। प्रार्थीगण–अभियुक्तगण को यह भी निर्देश दिये जाते हैं कि वे प्रकरण के विचारण तक संबंधित पुलिस थाने में प्रत्येक माह के प्रथम सप्ताह में अपनी उपस्थिति दर्ज करायेंगे। अभियुक्तगण द्वारा उक्त शर्त की पालना नहीं करने पर विद्वान लोक अभियोजक अभियुक्तगण के जमानत निरस्तीकरण के संबंध में प्रार्थनापत्र प्रस्तुत करने को स्वतंत्र रहेंगे।

(SHUBHA MEHTA),J

77/JITENDRA SINGH PANWAR